



2026:AHC:17199

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 46025 सन् 2025

चंद्रावती

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: मनोज कुमार दुबे, विपुल कुमार दुबे

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत प्रकरण में पारित किए जाने वाले आदेश के दृष्टिगत, प्रतिपक्ष को नोटिस देने एवं इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी प्रयोजन नहीं रह जाता। तथापि, यदि प्रतिपक्ष इस आदेश से व्यथित अनुभव करे, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. यह तर्क दिया गया है कि उ.प्र. भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 219 के अंतर्गत दायर पुनरीक्षण, जो वाद संख्या 346 वर्ष 2025 है, आयुक्त, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त पुनरीक्षण स्वीकृत किया जा चुका था तथा दिनांक 13.08.2025 के आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से प्रतिवेदन मँगाया गया था।
4. इस दृष्टिकोण से, प्रत्यर्थी संख्या-2, आयुक्त, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को निर्देशित करने हेतु प्रार्थना की गई है कि वे उक्त पुनरीक्षण को शीघ्रता से निर्णीत करें।
5. अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विचाराधीन पुनरीक्षण वर्ष 2025 में दायर किया गया था, अतः याचीगण द्वारा माँगी गई राहत प्रदान नहीं की जा सकती।
6. तथापि, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं न्याय के हित को देखते हुए, प्रस्तुत रिट याचिका निस्तारित की जाती है। पुनरीक्षण प्राधिकरण, जिसके समक्ष उक्त पुनरीक्षण लंबित है,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को निर्देशित किया जाता है कि वे उसे विधि के अनुसार शीघ्रता से निर्णीत करें तथा जब तक कोई विधिक बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दें।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

22 जनवरी, 2026

स्वाति

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।